कार्यालयः– वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।

वन भवन, चतरा– 825401 (झारखण्ड)

Ph. & Fax (o) - 06541- 298011 E-mail:- dfo-chatrasouth@gov.in

पत्रांक 1697 दिनांक 12/08/2022

सेवा में,

ई0 सत्येन्द्र प्रसाद सिंह,
कार्यपालक अभियंता,
राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, हजारीबाग।

विषयः– राष्ट्रीय उच्च पथ -22 चतरा वाईपास सड़क निर्माण हेतु कुल 64.0849392 हे0 (वन भूमि– 18.0223785 हे0 एवं जंगल झाड़ी– 46.0625607 हे0) वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंगः– आपका पत्रांक 660 (अनु0) दिनांक 25.07.2022।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा राष्ट्रीय उच्च पथ -22 चतरा वाईपास सड़क निर्माण हेतु कुल 64.0849392 हे0 (वन भूमि– 18.0223785 हे0 एवं जंगल झाड़ी– 46.0625607 हे0) वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत समर्पित किया गया है। समर्पित प्रस्ताव की जाँच भारत सरकार द्वारा निर्गत चेकलिस्ट के अनुसार किया गया। जाँचोपरांत कतिपय त्रुटियाँ एवं आवश्यक अभिलेख प्रस्ताव में संलग्न नहीं है जो निम्नवत. है–

1. पार्ट–1 की कंडिका A-1(iii) में Scheme for which the foret land is required के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। वन भूमि लेने का क्या औचित्य है, के संबंध में स्पष्ट उल्लेख किया जाय।
2. पार्ट–1 की कंडिका C-ii(b) में Number of Segment-One अंकित है जबकि Geo-reference Map के अवलोकन से प्रतीत होता है कि इसमें कई पैचेज है, नियमतः पैचवार रकबा के साथ KML File अपलोड करना अनिवार्य है।
3. पार्ट–1 की कंडिका C-iii & iv में Topomap and Geo-reference Map अपलोड है, परन्तु प्राधिकृत पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर अंकित नहीं है। अतः हस्ताक्षरित प्रति अपलोड किया जाय।
4. पार्ट–1 की कंडिका G-i(a) में Copy of Cost Benefit Analysis अपलोड है, परन्तु भारत सरकार द्वारा निर्गत प्रपत्र में नहीं है अतः भारत सरकार द्वारा निर्गत प्रपत्र में तैयार कर अपलोड करते हुए हार्ड कॉपी प्रस्ताव में संलग्न किया जाय।
5. विषयगत पथ निर्माण में कम से कम वन भूमि का उपयोग किया गया है से संबंधित वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं है।
6. विषयगत पथ निर्माण के क्रम में भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा कोई अन्य शर्त्त लगाये जाते हैं तो उसे मान्य होगा से संबंधित वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं है।
7. विषयगत पथ निर्माण के क्रम में कोई पुरातात्विक स्थल या किला प्रभावित नहीं होंगे से संबंधित वचनबद्धता प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं है।
8. विषयगत पथ निर्माण के क्रम में अपयोजित होनेवाले वन भूमि/जंगल झाड़ी भूमि से संबंधित भूमि विवरणी संलग्न है परन्तु मौजावार, प्लौटवार लम्बाई एवं चौड़ाई तथा रकबा के साथ स्पष्ट भूमि विवरणी सारांश के साथ संलग्न नहीं है।
9. विषयगत पथ निर्माण में अपयोजित होनेवाले वनभूमि से संबंधित उपायुक्त, चतरा द्वारा निर्गत वनाधिकार अधिनियम, 2006 से संबंधित प्रमाण–पत्र संलग्न है, परन्तु इस क्रम में हुई ग्राम सभा बैठक कार्यवाही की प्रति संलग्न नहीं है तथा इस क्रम में अनुमंडल स्तर पर हुई बैठक की कार्यवाही की प्रति भी संलग्न नहीं है।
10. विषयगत पथ निर्माण में प्रभावित होनेवाले भूमि का सक्षम स्तर से सत्यापित भूमि विवरणी (Authentic Land Schedule) संलग्न नहीं है।

11. प्रस्ताव में विषयगत पथ निर्माण से संबंधित डी0पी0आर0 संलग्न है जो अपूर्ण है तथा संलग्न क्रॉस सेक्सन अपठनीय है। पठनीय प्रति संलग्न किया जाय।

12. जिला से संबंधित मूलभूत संरचनाएँ संलग्न नहीं है संलग्न किया जाय।

13. परियोजना से संबंधित Brief note संलग्न नहीं है।

14. वृक्षों की सत्यापित गणना सूची संलग्न नहीं है।

15. प्रस्ताव में संलग्न मौजा मैप के अवलोकनोंपरांत पाया गया कि मौजा मोहनाडीह के चादर नम्बर–02 में पथ निर्माण वनभूमि से होकर गुजरेगी परन्तु संलग्न नक्शा पर गैरमजरूआ जंगल झाड़ी भूमि का मार्किंग करते हुए भूमि विवरणी में शामिल किया गया है जिसमें सुधार अनिवार्य है। इस प्रकार इस तरह के कई नक्शाओं में ऐसा पाया गया है जिसमें भी सुधार आवश्यक है।

अतः उल्लेखित त्रुटियों के निराकरण हेतु ऑनलाईन एवं ऑफलाईन प्रस्ताव इस पत्र के साथ संलग्न कर वापस करते हुए अनुरोध है कि संशोधित प्रस्ताव यथाशीघ्र इस कार्यालय में समर्पित किया जाय ताकि प्रस्ताव पर अग्रेतर कार्रवाई किया जा सके।

अनु0–यथोक्त।

आपका विश्वासी,

12/8/2022

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल।

12/08/2022